

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्र. _____ सुरेश विपक्षी सुनीलाल
 स्म. मुकदमा 916 पत्रावली संख्या 239/16 सन् _____

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
----------	-----------------	---

29/08/25

पत्रावली पेक्षा हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सायं 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी/तलबी में लम्बित हैं। अधिवक्ता वादीगण को तलबी/वारिस कायमी हेतु पर्याप्त अक्सर दिया गया था परन्तु अब तक वारिस कायमी/तलबी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
 निम्न शुले न्यायालय बुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

